मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी – स्वाति गुप्ता

राजस्व वाद संख्या – 122 / 2023

1. सजान खान पुत्र अल्लाबक्श जाति मुसलमान निवासी 16 एस.एस.डबल्यू. मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. अल्लाबक्श पुत्र रहमतअली जाति मुसलमान निवासी 16 एस.एस.डबल्यू. मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सलमान खान पुत्र अल्लाबक्श जाति मुसलमान निवासी 16 एस.एस.डबल्यू. मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रौशना बीबी पुत्री अल्लाबक्श जाति मुसलमान निवासी 16 एस.एस.डबल्यू. मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अमीना बीबी पुत्री अल्लाबक्श पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 07 6 एस.एस.डबल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :— 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक – 15.04.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र शर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करणेलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.04.24 को स्वाति गुप्ता [illegible] उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अंतिम निस्तारण के लिए पेश होने पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार डिक्री पारित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 [illegible] अंतिम डिक्री की जाती है कि वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर [illegible] में कुल 12.116 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के 2530 [illegible] के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को 40/8040 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर [illegible] नम्बर 2 एम.डी. [illegible] संख्या 10/8 में से प्रतिवादी संख्या 1 अल्लाबक्श का नाम कमकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:19:13 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) दिल्ली को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाये लगान कायम किया जाये। भूमि की किस्म (यथा नहरी / चाही / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

([illegible])
उपमण्डल अधिकारी, [illegible]
पदेन सहायक कलक्टर
दिल्ली

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
अर्जी के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
शहादत पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामील	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामील	---		
योग	---	योग	

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:19:13 IST
Reason: SelfAttested